PUNE RESEARCH TIMES (ISSN 2456-0960)
AN INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY STUDIES SPECIAL ISSUE OCT 2018

समकालीन स्त्री साहित्य में स्त्री विमर्श
(मृदुला गर्ग के कथासाहित्य के संदर्भ में)

डॉ. हेमलता कांचनकर
(हिंदी विभाग प्रमुख)
संत ज्ञानेश्वर महाविद्यालय, सोयगाव
औरंगाबाद.
महाराष्ट्र भारत

नारी विमर्श भारतीय चिंतन प्रक्रिया का एक मुख्य पहलू बन गया है। सन 1986 में नारी स्वतंत्र्य को जो यज्ञ सती प्रथा के उन्मूलन से प्रारंभ हुआ, वह अबाध गति से बढता रहा। 1939 में शारदा बिल 1932 के चुनाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार 1937 में हिन्दु महिलाओं का सम्पत्ति में अधिकार के लिये कानून बना। 1952 में महिलाओं को भारतीय शासन की स्पर्धात्मक परिक्षाओं में बैठने का अधिकार मिल गया। हिन्दु कोड बिल के साथ ही संवैधानिक दृष्टि से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिल गये।

आज स्त्री का समाज के केन्द्र में आना एक सीमा तक विचार केन्द्र में आना हमारे आर्थिक, सामाजिक विकास का परिणाम है। तीसरी दुनिया के देशों के विकास में औरतों की अनिवार्य अंतरंग भूमिका पर जोर दिया गया। तीस वर्षों में महिला मुक्ति के तमाम प्रश्न उठे, आयोग बने कानून बदले और नये बने। 1975 में महिला दशक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं ने पदार्पण किया। 1930 को सविनय आन्दोलन में महिलाओं का सक्रिय सहभाग। 1953 में विजया लक्ष्मी पंडित युनोस्का की पहली सभापती, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्यपाल महिला मुख्यमंत्री सूचेता कृपलानी, 1968 में इंदिराजी प्रथम महिला पतंप्रधान बनी। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया ने लचीली श्रम व्यवस्था को लागू किया और उससे स्त्रियों को ज्यादा रोजगार मिला। ब्रिटेन, कॅनडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली अदि देशों में पाया गया। हर क्षेत्र में स्त्री आगे है क्योंकि वह श्रम जानती हैं– निर्माता उद्योग के

सन्दर्भ में जो आंकड़े मिलते है उससे यही सिद्ध होता है कि वस्त्र उद्योग, चर्म उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक, आभूषण समुद्री उत्पाद आदि में 70 प्रतिशत की संख्या स्त्रियाँ है। जिनकी उम्र 21 से 30 वर्ष की है।"

बदलाव केवल स्त्रियों में ही नहीं आया है, बल्कि धीरे–धीरे समूचे समाज में भी जागरूकता आ रही है।

हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रारंभ से ही विविध विधाओं में लेखकोने लेखन किया है। प्रथम महिला लेखिका के रूप में द्विवेदीकालीन बंग महिला राजबाला घोष' के नाम उनकी 'कलाईवाली' कहानी के लिए उल्लेखनीय है। इसके पश्चात् हिंदी साहित्य में लेखिकाओं की संख्या में अधिकाधिक वृध्दि होने लगी। 1910–1950 तक के कालखंड में लेखिकाओं की संख्या उंगलियों पर गिनने योग्य है। 1960 के बाद लेखिकाओं की संख्या बढती गई और विभिन्न विधाओं में अपना स्थान निर्माण किया। समकालीन कथासाहित्य में लेखिकाओं का अपना विशिष्ट स्थान है। इस लेखिकाओं ने अपने कथा साहित्य में नारीचेतना, नारी अस्मिता को बडे सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है। सच तो यह है कि नारी को खुद की अस्मिता की पहचान करना है। "सच अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है। महिला कथा लेखन संवेदना के सजल–सरल मौक्तिको की दुति, मानवीय सुख–दुख को महसुस की अपूर्व ग्राही शक्ति मानव ह्रदय की अथाह गहराईयों में प्रविष्ट होकर गए, अछूते और अलभ्य भावत्नों को तलाशने की पैनी दृष्टि। घर–परिवार के सारे दायित्व को समेटते हुए और वहन करते हुए भी अपने भीतर घुमड़ती चीख को शब्द–बध्द करने की विवशता का नाम महिला लेखन है।"

नारी ने नारी मनस्थिति को जिस विशिष्टता से पहचाना है और जिस सुघडता से उसको अभिव्यक्त किया है। उसमें मृदुला गर्ग का लेखन महत्वपूर्ण है। साधरणतः आठवें दशक के प्रारंभ से ही मृदुलाजीने लिखना प्रारंभ किया 2003 तक लिखा है। मृदुलाजीने स्त्रीयों कि विभिन्न समस्याओं को उजागर किया है उसमें बालिकाजन्म से लेकर संसारीक जीवनतक।

बालिका जन्म :

बालिका के जन्म को समाज में अवांछनीय माना जाता है। तीन किलो की छोरी' कहानी में बालिका जन्मपर दुःख व्यक्त होता है। कथनायिका लल्लीबेन की तीसरी बेटी होती है। स्वस्थ एवं तीन किलो। दरमियाँ पड़ोस की 'नन्नीवेद' को बेटा पैदा होता है। डेढ किला वनज का और कमजोरीवश मृत्यु भी होती है। शारदाबेन' दाई की सोच एक स्त्री के प्रति उदासिनता कि सोच, अगर लडकी के बदले तीन किलो का लडका पैदा होता तो कितना अच्छा होता उसके माँ–बाप छटाक भर दुध माँग लेती और मजे से चायरोटला खाती। जब वह तिन कीलो की छोरी की प्रशंसा करती है तो मन्नूबेन का पोति के जन्मपर कहा वह वाक्य लड़की के प्रति करारी नफरत जताता है। "मरने दे हरामजादी को ..... तीन किल्लो! दुध है जो डिपोपर बेच आए। क्यों जलेपर नमक छिडक रही शारदाबेद। खा–खाकर मुटाती रही हरामखोर हमें पता था तीसरी भी छोरी जनेगी कमजात। डाल परे कमबख्त को, मरे तो अपने भाग से जिदा तो अपने भाग से।"

स्त्री जीवन के ना जन्मपर किसी को खुशी होती है और ना मृत्युपर दुःख। पोति और बहन के प्रति कोई प्रेम नहीं पर जूनबेन को पडोस के लड़के की मृत्युपर दुःख होता है, वही ट्रकपर खाद के बोरे

लादने का काम और क्या। अरे छोरा जना था, छोरा नासपीटी ना जाती दो दिन कामपर। एक हमारी को देखो, छोरी जनी है, वह भी तीसरी और खा–खाकर खटिया तोड रही है।"

सभी बालिका को पराया धन माना क्यो जाता है ? आजादी के इतने सालों बाद भी मानसिकता नहीं बदली।

नारी शोषण :

'दुनिया का कायदा' में बडी बहन के मरने की घटना है। इस प्रसंग में सभी रोने–पीटने का अभिनय करते है। क्योंकि सास से लेकर, सगे संबंधियों तक सभी स्त्री के अधेड़ उम्र के पति के पुनर्विवाह की बात करते है। कथानायिका 'रक्षा' पुनर्विवाह पर आपत्ती उठाती है तो उत्तर मिलता है तो क्या सारी उम्र रंडुआ बैठा रहेगा ? यह तो दुनिया का कायदा है। छ कहानी के दूसरे भाग में रक्षा का पति सुनिल उसके बॉस मेहता के यहाँ उसे पार्टी में नचाने के लिए विवश करता है। नाचते समय मेहता रक्षा के साथ कामोत्तेजक हरकते करता है। इसपर रक्षा क्षोम प्रकट करती है तो पति सुनिल कहता है – "सभ्य समाज का यहीं कायदा है। खरीद फरोख्य सब खाने को मेज के इर्द–गिर्द शराब का गिलास हाथ में लेकर तय होते है। मेहता से मेरा एक काम लटक पड़ा है।" नारी का हर समय फायदा उठाया जाता है स्वंय पति भी पलि का इस्तिमाल किए बिना नहीं रहता।

'खाली' कहानी ने नारी के जीवन के उस पड़ाव का चित्रण किया है जहाँपर वह बिल्कुल अकेली रह जाती है। कथानायिका 'निर्मला' अपनी खाली जिंदगी को भरने के लिए किसी न किसी का सहारा ढुंढती रहती है। पती दफ्तर बच्चे कॉलेज जाते है। किरायेदार भी है पर स्त्री नौकरीपेशा होने की वजह से उसे बात करने तक की फूरसत नहीं मिलती।

समकालिन कथा लेखिका मृदुला गर्ग पारिवारिक परिवेश से जुड़ी सफल कथाकार के रुप में प्रतिष्ठित है। अनुभव की गहराई से मृदुला गर्ग ने नारी जीवन के विभिन्न आयामों को यथार्थ रुप में प्रस्तुत किया है।

दामप्त्य जीवन के विविध आयाम :

नारी की पीड़ा त्रासदी तथा विभिन्न समस्याओं से घिरती हुई नारी का चित्रण किया है। समाज ने नारी को सदियों से उपेक्षित प्रवंचित रखा है। 'मिजाज' कहानी में पति के शोषण व्यक्तित्व को अत्यंत सुक्ष्मता से बेनकाब किया है। कथानायक 'मानस' उसकी पत्नी 'श्वेता' को विवाह के पश्चात नौकरी छोडने को कहता है, श्वेता सहज मान लेती है। क्योंकि वह पति को कोई मानसिक तकलीफ... देना नहीं चाहती। पर एक पति का पत्नी के प्रति यह एक प्रकार का शोषण ही है। तो दूसरी और 'जिजिविषा' में दाम्पत्य जीवन से संबंधित कहानी में कथानायक 'आदित्य' का बीमार पडना पत्नी का सेवा करना। और बिमारी में पढ़े पति का उसके जीजा की तरफ बुरा रवैय्या कि वह उसकी पत्नी को निहार रहा है। पर पत्नी का निश्चल सेवा व्रत देख जिजीविषा उसे जीने कि लालसा जगाता है। इस कहानी के संदर्भ में डॉ. अनिल गोयल, भारतीय समाज में पति की नियति स्वच्छंद है। वह स्वतंत्र रुप से जीवन जीता है, पत्नी एक गुलाम की तरह उसके इधर–उधर मंडराती रहती है तथा हुकम बजा

लाती है और पति के बीमार पड़ जाने की स्थिति में वह जिजीविषा भोगती है। यह जिजीविषा वह उस वैधव्य से बचने के लिए भोगती है जिसका मतलब है – न होना।"

मृदुला गर्ग की कहानियों में नायिकाएँ परिस्थितियों से समझौता करने के लिए मजबूर हो जाती है। उसकी विवशता वह नारी है यही है। पुरुषों के जरुरतो के अनुसार बदलना पर कभी–कभी वह इतनी बदल जाती है की उसे किसी की जरुरत ही महसूस होना बंद हो जाता है। 'वितृष्णा' ऐसी ही कहानी है कथानायिका शालिनी का पति दिनेश अधिक से अधिक समय काम में व्यक्त रहता है। पत्नी शालिनी उसका साथ पाने के लिए तड़पती है। पर उसे ना पति समय दे पाता है और नाही प्यार ज बवह रिटायर्ड होता है तो अकेलेपन में शालिनी का साह्यचर्य पाना चाहता है तब शालिनी उसे जरुरी नहीं समझती, शालिनी को वह पूछना चाहता था, बीस साल पहले तुम्हें इतना कुछ कहना था उसका क्या हुआ ? कहॉ खो गए वे शब्द ? बिना कहें तुम्हारा मन कैसे भर गया ? तब मैं कितना व्यस्त था। तुमने मुझसे पुछा था, आपके पास घंटेभर की भी ...रसत नहीं है कि बैठकर बात कर सके तो मैने कहा था, बात करने की ...रसत उन्हें होती है जिनके पास काम नहीं होता। अगर तुम घर को पूरे सलीके से चलाओं तो तुम्हारे पास भी चख–चख करने को वक्त ना बचे.... तुम समझती क्यों नही शालिनी तब मेरे पास वक्त नहीं था। अब है। हालात बदलते रहते है। हालात के साथ हमें भी बदलना पडता है। परंतु शालिनी को अब किसी के भी साहचर्य की आवश्यकता नहीं रहती जब उसे जरुरत थी, तब वह अकेली रहती है।

'खरीदार' कहानी की नायिका आत्मनिर्भर है। कहानी में नारी के सामर्थ्ययशाली व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। कथानायिका दहेज में बीस हजार रुपए माँगे जानेपर विवाह से इंकार कर देती है और स्वयं खरीदार बनने का संकल्प क रवह आई.ए.एस. की परीक्षा पास कर सहायक कमिश्नर से होते हुए गृह मंत्रालय की सचिव बन जाती है। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने से उसमें एक आत्मविश्वास आ जाता है।

'बाहरीपन' कहानी नारी जीवन पर पुरुष के एकछत्र साम्राज्य को उजागार करती है।

कथानायिका नंदिनी को विवाह के सात वर्षातक कोई संतान नहीं होती। डॉक्टरी ईलाज करके और ससूर की बातें सुन–सुनकर नंदिनी थक जाती है। सोचती है संतान होना न होना उसका निजी निर्णय है, "नहीं चाहिए उसे बच्चा। नहीं जायेगी वह डॉक्टरों के पास, नहीं करेगी इसकी अप्राकृतिक प्रक्रिया का इस्तेमाल, उसकी गोद भरे न भरे निर्णय लेने का अधिकार उसका है, सिर्फ उसका।" पर वह कह नहीं पाती। विडंबना यह है कि जो स्त्री अपने अस्तित्व के लिए अपने होने का बोध करने के लिए संघर्ष करती हुई दिखाई देती है, वही कहानी के अंत में बिल्लोरी कांच का किंमती डोंगा टुटने पर सास के साथ मिलकर नौकर पर उसी प्रकार चीखना, चिल्लाना शुरु कर देती है जिसप्रकार घर का आर्थिक पुरुष अपनी पत्नी पर चिल्लाता है। यहॉ लेखिका ने यह कहने का प्रयास किया है कि घर में नारी की स्थिती उसी प्रकार बाहरी व्यक्ति है, जिस प्रकार नौकर की।

'रेशम' नारों की अस्मिता को प्रस्थापित करनेवाली कहानी है। हेमवती' सारी उम्र पति के बंधन में रहती है। उसी के अनुसार जीती है और मरती है। उसके देहान्त के बाद शोंक नहीं करती बल्की लोगों

को चाय पिलाती है । पति के मरने के बाद असे स्वतंत्रता का अहसास होता है, सहसा एक नये अहसास ने उन्हें घेर लिया, वे न हँसी, न लंबी सॉस भरी। अपनी सफेद रेशमी साडी अच्छी तरह संभलकर उठी और सीधी खडी हो गयी। सधें स्वर में उन्होंने कहा, शोक मत करो। दरी का कोना मोड दो और चाय बना लाओं, सबके लिए। एक बार उठकर बैठ जाइए आप।" पति ने कभी अच्छा रहने नही दिया। फटे–पुराने चिंछडे साडी पहनती थी। पर पती के मरने के बाद वह बहु 'तारा' ने दि रेशम की साडी पहनकर मानेा एक प्रकार का विद्रोह कर उठी है।

समकालीन नारीं वास्तविक स्थिति के विशेष कटघरें में खडा करके नही है। वह अपने अस्तित्व एवं अस्मिता की तलाश कर रही है। आज सृष्टि के संदर्भ में स्वयं की वास्तविक स्थिति का अन्वेषण कर रही है, क्योंकी स्त्री का पुरुष होना उसके जीवन की सार्थकता है किंतु स्त्री–जाति के संदर्भ में आज भी एक सम्पूर्ण व सापेक्ष व्यक्तित्व के रुप में देखी जाती है।

संदर्भ संकेत :

1. समकालीन विमर्श – कल्पना वर्मा
2. संचारिका – अप्रैल–मई–जुन 2006 – अनुराध मिरगणे, पृ. 04
3. शहर के नाम – मृदुला गर्ग, पृ. 22
4. वही, पृ. 24
5. कितने कैदे – पृ. 109
6. वही
7. सीरजा – सितंबर 1986 – डॉ. गोपाल, पृ. 78
8. शहर के नाम – पृ. 162
9. समीक्षा – अप्रैल–जून 1991 – सदानंद गुप्ता का लेख – पृ. 16 (स्त्रियों के संघर्ष और संवेदना के दास्ता से)